(1)

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
बिहार, पटना
आदेश

पटना, दिनांक– 23.06.25

संञसं०–BS^3–10351/09–521/बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 10, 11 एवं 12 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में सभी निबंधित संस्थाओं/एन0जी0ओ0 को वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, फॉर्म–सी0 तथा विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित प्रतिवेदन ऑनलाईन सिस्टम में जमा करने की सुविधा विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है।

02. राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के माध्यम से सभी संस्थाओं/एन0जी0ओ0 को विगत 05 वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, फॉर्म–सी0 तथा विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–31.01.2025 के पूर्व विभागीय वेबसाईट–enibandhan.bihar.gov.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करने का निदेश दिया गया है।

03. साथ ही विभागीय पत्रांक–25209 दिनांक–02.02.2025 के द्वारा **"आस्था सिलाई केन्द्र" (नि0सं0–1920/2009–10)**, **जिला–बक्सर** को विगत 05 वित्तीय वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, फॉर्म–सी0 तथा विदेशी अंशदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता से संबंधित प्रतिवेदन ऑनलाईन सिस्टम में जमा करने नोटिस निर्गत किया गया।

04. उक्त पत्र के प्रसंग में श्रीमती अभिलाषा कुमारी (अध्यक्ष) श्रीमती दमयंती देवी (सविच), **"आस्था सिलाई केन्द्र" (नि0सं0–1920/2009–10)**, **जिला–बक्सर** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त संस्था का समयाभाव के कारण वर्ष 2016 से इसका संचालन बंद कर दिया गया है। संस्था के उपर किसी भी प्रकार का बैंक या सरकारी कर्ज बकाया नहीं है, न ही कोइ विदेशी अनुदान या सहयोग राशि नहीं ली गई है। संस्था पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं है। साथ ही संस्था का निबंधन रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त तथ्य से संबंधित **शपथ–पत्र** भी संलग्न किया गया है।

05. **"आस्था सिलाई केन्द्र" (नि0सं0–1920/2009–10)**, **जिला–बक्सर** नामक संस्था वर्तमान में अस्तित्वहीन एवं निष्क्रिय होने के साथ ही बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 धारा के नियम–10(i) द्वारा विहित प्रतिवेदन जमा नहीं किया गया है। संस्था के **अध्यक्ष** श्रीमती अभिलाषा कुमारी, **सचिव** दमयंती देवी तथा **कोषाध्यक्ष** पूनम देवी द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आलोक में बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 14 (घ) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार संस्था गैर क्रियाशील है।

06. उक्त वर्णित परिस्थिति में सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की धारा–23 एवं बिहार सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2018 के नियम 14 (घ) के आलोक में **"आस्था सिलाई केन्द्र" जिला–बक्सर" (निबंधन सं0–1920/2009–10)** नामक संस्था के निबंधन को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। अतएव

(क) इस संस्था में कोई पदधारक या सदस्य अब संस्था के नाम से कोई भी कार्रवाई संचालित नहीं करेंगे।

(ख) इस संस्था के किसी भी पदधारक या सदस्य द्वारा संस्था से संबंधित किसी भी बैंक खाते का संचालन नहीं किया जायेगा तथा किसी चल–अचल सम्पत्ति का क्रय/विक्रय का निष्पादन नहीं किया जायेगा।

(ग) जिलाधिकारी, बक्सर संस्था के चल–अचल सम्पत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उसे अपने अधीन लेते हुए प्रतिवेदन विभाग को भेजेंगे, ताकि इसके निष्पादन के संबंध में कार्रवाई की जा सके।

07. प्रस्ताव में निबंधन महानिरीक्षक का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– BS^3–10351 / 09–...531.... /   पटना , दिनांक–...23.06.25...

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02. सचिव, ''अस्था सिलाई केन्द्र'', मु0– चीनी मिल, पो0– गजाधरगंज, थाना+जिला– बक्सर, वार्ड नं0–34 (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03. विभागीय प्रोगामर, श्री प्रतीक भारद्वाज को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाय।

04. **Project Manager, Terracis Technology Limited**, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।